

संशोधित आदेश

मैं, सुनीता नसवारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी.एन.एस.एस.) की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के आदेश क्रमांक स्था0/2025/31 दिनांक 06.05.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए राजकीय अवकाश दिनांक 01.06.2025, 22.06.2025, 28.06.2025, 29.06.2025 की रिमाण्ड ड्यूटी का संशोधित आदेश पारित करती हूँ कि कॉलम संख्या-2 में अंकित अवकाशों के दिन डूंगरपुर न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई हेतु कॉलम संख्या 3 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:--

क्र सं	दिनांक व वार	अधिकारी का नाम व पदस्थापन
01	01.06.2025 रविवार	श्री हरीश मेनारिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा
02	22.06.2025 रविवार 28-06-2025 चतुर्थ शनिवार 29-06-2025 रविवार	श्रीमती मोनिका धनोल न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर

नोट:—शेष अधिकारियों की ड्यूटी पूर्व के आदेश क्रमांक स्था/2025/31 दिनांक 06.05.2025 के अनुसार यथावत रहेगी।

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से डूंगरपुर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के डूंगरपुर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/ 2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे। मुख्यालय से बाहर रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मुख्यालय पर उपस्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रोटोकॉल ड्यूटी की जाएगी।

2 तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

3. किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड, जमानत आदि कार्यों की ड्यूटी है, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वदिश की निरंतरता में रिमाण्ड, जमानत आदि सभी आवश्यक कार्यों हेतु अधिकृत होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

4. यदि किसी मुख्यालय पर सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हों तो, वे उक्त रिमाण्ड, जमानत आदि का कार्य अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में अपने निवास से संपादित कर सकेंगे।
5 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से 11.00 एएम. से 1.00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।

6. केवल अपरिहार्य परिस्थितियों व कारणों को छोड़कर, अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किए जाएंगे।

7. डूंगरपुर न्याय क्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक / पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधि अनुसार न्यायिक / पुलिस अभिरक्षा की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

8. न्यायालय के कार्य दिवस के प्रायिक घंटों के अवसान के पश्चात् संबंधित पीठासीन अधिकारी ही अपने न्यायालय के रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे तथा किसी अधिकारी के मुख्यालय परित्याग की स्थिति में लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे।

वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक/स्था./2025/ 534 - 553

दिनांक-26.05.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल)-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर
2. पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर को वास्ते सूचित करने समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, संचित पुलिस लाइन, आरक्षी केन्द्र व नियंत्रण कक्ष
3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम मामलात न्यायालय/ अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश डूंगरपुर/ सागवाड़ा तथा समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर न्याय क्षेत्र
4. सहायक निदेशक अभियोजन, डूंगरपुर
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन डूंगरपुर/सागवाड़ा/आसपुर/सीमलवाड़ा/बिच्छीवाड़ा
6. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह डूंगरपुर/ उप कारागृह सागवाड़ा
7. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय डूंगरपुर (E courts Dungarpur की website पर upload करने हेतु)
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
9. आदेश / संबंधित पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर

वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर (राज.)